छ०ग० राज्य विरूद्ध बीरबल मंडावी

(CIS R.N.- 2175/2022)

Witnees No. 01 For अभियोजन साक्ष्य Deposition taken

The 09.05.2025 day of शुक्रवार Witness's apparent age 45 वर्ष

States on affirmation शपथ पूर्वक My name is होरीलाल वर्मा

Son/of श्री कार्तिक वर्मा Occupation कृषक

Address ग्राम सलोनी, थाना–डोंगरगढ, जिला–राजनांदगांव (छ०ग०)

समय– 03.50 बजे से

मुख्य परीक्षण द्वारा ए डी पी ओ श्री रंजीत तिर्की –

1. मैं आरोपी को जानता हूॅ, वह मेरे गांव का है । मुझे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। आबकारी वालो ने मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किया है। साक्षी को मुखबीर सूचना पंचनामा **प्र०पी०–1**, धारा 160 दं०प्र०सं० नोटिस **प्र०पी०–2**, जामा तलासी पंचनामा **प्र०पी०–3**, तलासी पंचनामा **प्र०पी०–4**, मदिरा परीक्षण पंचनामा **प्र०पी०–5**, जप्ती पत्र पंचनामा **प्र०पी०–6,** गिरफ्तारी पंचनामा **प्र०पी०–7,** मकान अधिपत्य पंचनामा **प्र०पी०–8**, घटना का नजरी नक्शा **प्र०पी०–9** दिखाये जाने पर उक्त दस्तावेजों पर अपना अंगूठा का निशान लगाना बताया । मैं पढ़ा लिखा नहीं हूॅ, इसलिए अंगूठा लगाता हूॅ । मैंने आबकारी वालो को कोई बयान नहीं दिया है ।

नोट– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी की ओर से साक्षी को अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करने के कारण पक्षद्रोही घोषित कर सूचक स्वरुप प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही । प्रकरण के अवलोकन पश्चात अनुमति दी गयी ।

2. यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मुझे गवाह बनने हेतु धारा 160 दं०प्र०सं० की नोटिस दिया था । यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया था ।

3. यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष आरोपी बीरबल मंडावी से स्वयं का तलासी कराकर जामा तलासी पंचनामा तैयार किया था । यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष आरोपी के रिहायसी मकान की तलासी लेकर उसके कब्जे से 5–5 लीटर क्षमता वाले 3 पीले रंग के प्लास्टिक जरिकेन में भरा हुआ कुल 15 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब को बरामद कर तलाशी पंचनामा तैयार किया था ।

4. यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष आरोपी के कब्जे से बरामदशुदा शराब का परीक्षण कर मदिरा परीक्षण पंचनामा तैयार किया था । यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष आरोपी के कब्जे से उसके रिहायसी मकान से उसके कब्जे से एक बोरे मे रखा हुआ 5–5 लीटर क्षमता वाले 3 पीले रंग के प्लास्टिक जरिकेन में भरा हुआ कुल 15 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब को जप्त किया था । यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार किया था । यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था। यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष आरोपी के मकान का अधिपत्य पंचनामा तैयार किया था ।

5. साक्षी को उसके कथन **प्र०पी०–10** के अ से अ भाग के अंश को पढकर सुनाये जाने पर उसने आबकारी वालो को उक्त बयान देने से इंकार किया । यह कहना गलत है कि आरोपी से मिल गया हूँ, इसलिए उसे बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा हू ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती संध्या देशपाण्डे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u> –

6. यह कहना सही है प्र०पी०–1 से लगायत प्र०पी०–9 पर अंगूठा लेने के दौरान मुझे यह नही बताये थे कि किस कार्यवाही से संबंधित लिखापढ़ी पर अंगूठा ले रहें है, यह कहना सही है कि जिन दस्तावेजों में मेरे अंगूठा निशानी है, उन दस्तावेजों को आबकारी वालो ने पढ़कर नहीं सुनाये थे । आबकारी वाले जहां–जहां अंगूठा लगाने बोले मैंने अंगूठा लगा दिया ।

<u>समय 4.00 बजे तक</u>

उपरोक्त कथन गवाह की उभयपक्ष की उपस्थिति में
पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर सत्य लिखित स्वीकार होना किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(श्रीमती दीप्ति लकड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़ (छ०ग०)

(श्रीमती दीप्ति लकड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़ (छ०ग०)

गवाह के हस्ताक्षर . . . . . .

छ०ग० राज्य विरूद्ध बीरबल मंडावी

(CIS R.N.- 2175/2022)

Witnees No. 02 For अभियोजन साक्ष्य Deposition taken

The 09.05.2025 day of शुक्रवार Witness's apparent age 35 वर्ष

States on affirmation शपथ पूर्वक My name is देवव्रत

Son/of श्री दशरथलाल वर्मा Occupation मजदूरी

Address ग्राम सलोनी, थाना–डोंगरगढ, जिला–राजनांदगांव (छ०ग०)

समय– 04.05 बजे से

मुख्य परीक्षण द्वारा ए डी पी ओ श्री रंजीत तिर्की –

1. मैं आरोपी को जानता हूॅ, वह मेरे गांव का है । मुझे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। आबकारी वालो ने मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किया है। साक्षी को मुखबीर सूचना पंचनामा **प्र०पी०–1**, धारा 160 दं०प्र०सं० नोटिस **प्र०पी०–2**, जामा तलासी पंचनामा **प्र०पी०–3**, तलासी पंचनामा **प्र०पी०–4**, मदिरा परीक्षण पंचनामा **प्र०पी०–5**, जप्ती पत्र पंचनामा **प्र०पी०–6,** गिरफ्तारी पंचनामा **प्र०पी०–7,** मकान अधिपत्य पंचनामा **प्र०पी०–8**, घटना का नजरी नक्शा **प्र०पी०–9** दिखाये जाने पर ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना बताया । मैंने आबकारी वालो को कोई बयान नहीं दिया है ।

नोट– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी की ओर से साक्षी को अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करने के कारण पक्षद्रोही घोषित कर सूचक स्वरुप प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही । प्रकरण के अवलोकन पश्चात अनुमति दी गयी ।

2. यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मुझे गवाह बनने हेतु धारा 160 दं०प्र०सं० की नोटिस दिया था । यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया था ।

3. यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष आरोपी बीरबल मंडावी से स्वयं का तलासी कराकर जामा तलासी पंचनामा तैयार किया था । यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष आरोपी के रिहायसी मकान की तलासी लेकर उसके कब्जे से 5–5 लीटर क्षमता वाले 3 पीले रंग के प्लास्टिक जरिकेन में भरा हुआ कुल 15 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब को बरामद कर तलाशी पंचनामा तैयार किया था ।

4. यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष आरोपी के कब्जे से बरामदशुदा शराब का परीक्षण कर मदिरा परीक्षण पंचनामा तैयार किया था । यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष आरोपी के कब्जे से उसके रिहायसी मकान से उसके कब्जे से एक बोरे मे रखा हुआ 5–5 लीटर क्षमता वाले 3 पीले रंग के प्लास्टिक जरिकेन में भरा हुआ कुल 15 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब को जप्त किया था । यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार किया था । यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था। यह कहना गलत है कि आबकारी वालो ने मेरे समक्ष आरोपी के मकान का अधिपत्य पंचनामा तैयार किया था ।

5. साक्षी को उसके कथन **प्र०पी०–11** के अ से अ भाग के अंश को पढकर सुनाये जाने पर उसने आबकारी वालो को उक्त बयान देने से इंकार किया । यह कहना गलत है कि आरोपी से मिल गया हूँ, इसलिए उसे बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा हू ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती संध्या देशपाण्डे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u> –

6. यह कहना सही है प्र०पी०–1 से लगायत प्र०पी०–9 पर हस्ताक्षर के दौरान मुझे यह नही बताये थे कि किस कार्यवाही से संबंधित लिखापढ़ी पर हस्ताक्षर ले रहें है । यह कहना सही है कि जिन दस्तावेजों में मेरे हस्ताक्षर है, उन दस्तावेजों को आबकारी वालो ने पढ़कर नहीं सुनाये थे और ना ही मैने पढ़कर देखा था । आबकारी वाले जहां–जहां हस्ताक्षर करने बोले मैंने हस्ताक्षर कर दिया। यह कहना सही है कि सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के दौरान अभियुक्त वहां पर उपस्थित नहीं था ।

<u>समय 4.10 बजे तक</u>

उपरोक्त कथन गवाह की उभयपक्ष की उपस्थिति में
पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर सत्य लिखित स्वीकार होना किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(श्रीमती दीप्ति लकड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़ (छ०ग०)

(श्रीमती दीप्ति लकड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़ (छ०ग०)

गवाह के हस्ताक्षर . . . . . .